



**राजस्थान सरकार**  
**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**  
 जी-3/1, अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर

क्रमांक एफ 11(125)ओबीसी/इलाहा/इलाही/आर.एण्ड.पी/सान्याअवि/13/46565

जयपुर दिनांक 29/5/22

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.11(125)आर.एण्ड.पी./सकवि/52307, दिनांक 6 अगस्त, 1994, क्रमांक एफ.11(125)आर.एण्ड.पी./सकवि/92810 दिनांक 24 दिसम्बर, 1994, क्रमांक एफ.11(125)(2)आर.एण्ड.पी./सकवि/12699 दिनांक 15 मार्च, 1997, क्रमांक एफ.11(125)आर.एण्ड.पी./सकवि/74085 दिनांक 3 नवम्बर, 1999, क्रमांक एफ.11(125)(3)(4)(5)आर.एण्ड.पी./सकवि/75681 दिनांक 12 नवम्बर, 1999, क्रमांक एफ.11(125)(6)आर.एण्ड.पी./सकवि/1 दिनांक 1 जनवरी, 2000, क्रमांक एफ.11(125)(7)आर.एण्ड.पी./सकवि/153 दिनांक 2 जनवरी, 2000, क्रमांक एफ.11(125)(7) आर.एण्ड.पी./सकवि/459 दिनांक 10 जनवरी, 2000, क्रमांक एफ.11(125)(6) आर.एण्ड.पी./सकवि/22821 दिनांक 26 जून, 2000, क्रमांक एफ.11(125)(9)आर.एण्ड.पी./सकवि/41745 दिनांक 20 अगस्त, 2001, क्रमांक एफ.11(125)(10) आर.एण्ड.पी./सकवि/2002/26706 दिनांक 24 जून, 2002, क्रमांक एफ.11(125)(10)आर.एण्ड.पी./सकवि/2002/26832 दिनांक 24 जून, 2002 एवं एफ.11(125)(11) आर.एण्ड.पी./सान्याअवि/13/30218 दिनांक 22.3.2013 जो क्रमशः राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1 (ख) में दिनांक 8 अगस्त, 1994, 24 दिसम्बर, 1994, 15 मार्च, 1997, 22 मार्च, 1997, 6 नवम्बर, 1999, 15 नवम्बर, 1999, 4 जनवरी, 2000, 15 मार्च, 2000, 31 अगस्त, 2001, 24 जून, 2002 एवं 25 मार्च, 2013 को प्रकाशित हुई थी, के अनुक्रम में राजस्थान के पिछड़े वर्गों की अधिकृत सूची में तुरन्त प्रभाव से निम्न पिछड़े वर्गों के नाम जोड़े जाते हैं :-

क्र.सं.	जाति/वर्ग जिसे सम्मिलित किया गया है।	अधिसूचना दिनांक 6.8.1994, 24.12.1994, 15.3.1997, 3.11.1999, 12.11.1999, 1.1.2000, 2.1.2000, 10.1.2000, 26.6.2000, 20.8.2001, 24.6.2002 एवं 22.3.2013 द्वारा जारी सूची की क्रम संख्या जिस पर इस जाति/वर्ग को जोड़ा गया है एवं पृथक क्रमांक पर जाति/वर्ग जोड़ा गया है।
1	इलाहा/इलाही (दाई-माई)	सूची में पृथक क्रमांक 86 पर "इलाहा/इलाही (दाई-माई)"

आज्ञा से,

(जॉ. मनजीत सिंह)  
 प्रमुख शासन सचिव

*(Handwritten Signature)*

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राज. जयपुर।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राज. सरकार।
5. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
6. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
7. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. समस्त संभागीय आयुक्त।
9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
10. रजिस्ट्रार, राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर/जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेर।
12. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर।
13. निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान।
14. समस्त विभागाध्यक्ष।
15. समस्त जिला कलक्टर।
16. समस्त पुलिस अधीक्षक।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
18. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
19. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) में प्रकाशन हेतु।
20. गार्ड फाइल।

(डॉ. मनजीत सिंह)  
प्रमुख शासन सचिव

29/5/20